न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 13/2012/223 आर टी ए

1. जापान खां पुत्र गनी मोहम्मद जाति लबाना निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. ऐसा बीबी बेवा गनी मोहम्मद जाति लबाना निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. लाल खां पुत्र गनी मोहम्मद जाति लबाना निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मुनसब अली पुत्र गनी मोहम्मद नाबालिग जरिये कुदरती वली माता खुद ऐसा बीबी बेवा गनी मोहम्मद जाति लबाना निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. जिकारा बीबी पुत्र गनी मोहम्मद नाबालिग जरिये कुदरती वली माता खुद ऐसा बीबी बेवा गनी मोहम्मद जाति लबाना निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. राज बीबी पुत्र गनी मोहम्मद जाति लबाना निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. ताज बीबी पुत्र गनी मोहम्मद जाति लबाना निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा हनुमानगढ़ टाउन।
8. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्रकरण संख्या 81/2007 अनवानी ऐसा बीबी आदि बनाम जापान खां आदि

उपस्थित :–

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलांट

श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–27.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए पेश किया कि वादिया सं. 1 के पति व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी सं. 2 ता 4 तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता स्व. गनी मोहम्मद के नाम से चक 17 जीजीआर मे 1.012 है0 तथा चक 12 जीजीआर मे 2.024 है0 कुल 3.036 है0 भूमि है तथा स्व. गनी मोहम्मद व वादिया की ननद तथा वादी सं. 2 ता 4 तथा प्रतिवादीगण सं. 1ता3 की बुआ के नाम से संयुक्त खाता चक 5 एमकेएस मे 8.273 है0 भूमि है। इसके अलावा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 17 जीजीआर मे 1.012 है0 भूमि इस प्रकार हर चार चको की कुल 12.321 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वादिया का ससूर तथा वादी सं. 2 ता 4 व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के दादा स्व. साबदीन ने अपनी पुत्री मु. मरिया जो कि शादी के बाद कभी भी ससुराल नही गई तथा अपने पिता के पास ही रहती थी, को अपने जीवन के निर्वाह करने के लिए गुजारा भत्ता के रूप मे चक 5 एमकेएस मे करीब 4.14 बीघा भूमि दी थी। उक्त भूमि मरिया के जीवनकाल मे उसके कब्जा काश्त मे थी। मु0मरिया के फौत होने के बाद उसके जायज व कानूनी वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के कब्जा काश्त मे संयुक्त रूप से चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड मे मु0 मरिया का नाम आज भी अंकित है। जिससे वादीगण के खातेदारी हको का हनन होता है। प्रतिवादी सं. 1/अपीलांट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए वाद वादीगण खारिज किये जाने कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की जाकर वाद डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टस ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस ने अपनी बहस में कथन किया कि विवाधक सं. 1 को अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों के विपरीत संरचित किया है जबकि वादीगण के अभिकथनो मे भी अपने वाद के आधार को किसी जद्दी जायदाद पर आधारित होना नही माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने पैतृक सम्पति होने के संबंध मे इस विवाधक को विरचित कर अपने अधिकार क्षेत्र का गलत प्रयोग किया है। विवाधक सं. 1 ता 5 को निर्धारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तगत कृषि भूमि को पैतृक सम्पति होना मानकर विधिक भूल की है। इस क्षेत्र के समस्त मुसलमान पर्सनल लॉ से अधिशाषित होते है व मुस्लिम विधि के प्रावधान उत्तराधिकारिता के संबंध मे लागू होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने पैतृक सम्पति होने से संबंधित अधिकारो को तय किया है जबकि मुस्लिम विधि मे पैतृक सम्पति होने के आधार पर किसी भी प्रकार के आधारो का सर्जन नही होता है व पैतृक सम्पति होते हुए भी किसी भी परिवार के सदस्य का

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

जन्मसिद्ध अधिकार अथवा सहदायिकी अधिकार जो कि हिन्दू विधि मे प्रभावी है, प्राप्त नही होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्व. गनी मोहम्मद के देहान्त होने पर प्रश्नगत भूमि मे वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 का बहिस्सा बराबर का हक निर्धारित किया है जबकि मुस्लिम विधि मे प्रावधित उत्तराधिकारिता संबंधी प्रावधानो के अनुसार दिवंगत खातेदार व्यक्ति के फौत होने के पश्चात उसकी पत्नि का 1/8 हिस्सा कम किया जाकर शेष भूमि मे उसके पुत्रों को पुत्रीयों की अपेक्षा दो गुणा भूमि का हक प्राप्त होता है। इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय ने मुस्लिम विधि के उत्तराधिकारिता संबंधी प्रावधानो पर कोई गौर नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मु. मरिया के नाम से अभिलिखित भूमि की उत्तराधिकारिता से संबंधित विधिपूर्वक निर्णय पारित नही किया। जबकि यह स्वीकृत स्थिति है कि मु0 मरिया गनी मोहम्मद की बहन व साबदीन की पुत्री थी। वादीगण अपने अभिकथनो मे इस तथ्य को किसी भी साक्ष्य से प्रमाणित नही किया कि मरिया को प्रश्नगत भूमि जो कि उनके नाम से अभिलेखित है, साबदीन के द्वारा उसके भरण पोषण के लिए दी गई हो ऐसा कोई दस्तावेज जिसके द्वारा मरिया के नाम से अभिलेखित भूमि साबदीन के द्वारा अन्तरित की गई हो, वादीगण ने अपनी साक्ष्य मे प्रस्तुत नही किया है।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने मु0 नूरइलाही जो कि अपीलांट की सगी दादी थी, के द्वारा निष्पादित वसीयत को न मानकर विधिक भूल की है। अपीलांट की दादी नूरइलाही पत्नि साबदीन के नाम चक 17 जीजीआर के खाता सं. 68/60 मे 1.012 है0 भूमि बतौर खातेदार अभिलेखित थी जिसकी वसीयत मु0 नूरइलाही ने दिनांक 09.08.1995 को अपीलांट के पक्ष मे की थी। यह भूमि नूरइलाही को पैतृक तौर पर प्राप्त नही हुई थी बल्कि इस भूमि को नूरइलाही के भाईयों ने अपनी बहन को अन्तरित किया था। ऐसी स्थिति मे इस भूमि को अधीनस्थ न्यायालय ने पैतृक सम्पति होना मानकर कतई विधिक भूल की है व इस आधार पर अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित वसीयत जिसके आधार पर नामान्तरण सं. 32 दिनांक 05.07.2005 दर्ज हो चुका है, को शून्य होना मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए पेश किया कि वादिया सं. 1 के पति व वादी सं. 2 ता 4 तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता स्व. गनी मोहम्मद के नाम से चक 17 जीजीआर मे 1.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

012 है0 तथा चक 12 जीजीआर मे 2.024 है0 कुल 3.036 है0 भूमि है तथा स्व. गनी मोहम्मद व वादिया की ननद तथा वादी सं. 2 ता 4 तथा प्रतिवादीगण सं. 1ता3 की बुआ के नाम से संयुक्त खाता चक 5 एमकेएस मे 8.273 है0 भूमि है। इसके अलावा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 17 जीजीआर मे 1.012 है0 भूमि इस प्रकार हर चार चको की कुल 12.321 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वादिया का ससूर तथा वादी सं. 2 ता 4 व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के दादा स्व. साबदीन ने अपनी पुत्री मु. मरिया जो कि शादी के बाद कभी भी ससुराल नही गई तथा अपने पिता के पास ही रहती थी, को अपने जीवन के निर्वाह करने के लिए गुजारा भत्ता के रूप मे चक 5 एमकेएस मे करीब 4.14 बीघा भूमि दी थी। उक्त भूमि मरिया के जीवनकाल मे उसके कब्जा काश्त मे थी। मु0मरिया के फौत होने के बाद उसके जायज व कानूनी वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के कब्जा काश्त मे संयुक्त रूप से चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड मे मु0 मरिया का नाम आज भी अंकित है। जिससे वादीगण के खातेदारी हको का हनन होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की जाकर वाद डिक्री किया गया जो सही है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे सीसीसी 2014 ईलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया गया है कि ''विवादित भूमि पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति मे वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक व अधिकार है राजस्व रिकार्ड मे वर्तमान मे भूमि नूरईलाही पत्नि साबदीन व गनी मोहम्मद वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता के नाम से दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के पिता का देहान्त हो गया है गनी मोहम्मद के देहान्त होने के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण दोनो का हक हिस्सा है। इस प्रकार साबदीन ने मु0 मरिया को भरणपोषण हेतु दी गई भूमि मु0 मरिया के देहान्त हो जाने के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 का हक हिस्सा है तथा चक 17 जीजीआर की 4 बीघा भूमि की वसीयत करवाई गई परन्तु वसीयत स्वअर्जित भूमि की ही की जा सकती है पैतृक सम्पति की वसीयत नही की जा सकती है जबकि प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष मे की गई वसीयत पैतृक सम्पति की गई जो शून्य है इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य व सबूत के अनुसार वादीगण की तनकी सं. 1 ता 4 पूर्णरूप से साबित होने के कारण वादीगण

का वाद डिक्री किया जाता है।'' जबकि अपीलांट का तर्क है कि नूरइलाही द्वारा अपीलांट के पक्ष मे वसीयत निष्पादित की थी तथा नूरइलाही के फौत होने के बाद वसीयत के आधार पर नामान्तरण भी अपीलांट के नाम दर्ज हो चुका है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अवधारणा पारित की गई है कि पैतृक सम्पति की वसीयत नही की जा सकती है। जबकि मुस्लिम विधि के अनुसार पैतृक सम्पति की अवधारणा नही है तथा मुस्लिम विधि के अनुसार वसीयतकर्ता 1/3 हिस्सा तक वसीयत कर सकता है। वसीयत के संबंध मे वसीयतकर्ता वारिसान ही चुनौती दे सकते है। उपरोक्त परिस्थितियों मे वादग्रस्त भूमि से संबंधित पक्षकारान मुस्लिम वर्ग के है तथा मुस्लिम विधि के अनुसार पैतृक सम्पति की अवधारणा नही है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे मुस्लिम विधि के अनुसार निर्णय पारित न करते हुए तथा मुस्लिम विधि के अनुसार वसीयत के संबंध मे विवेचन न करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2012 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पैतृक सम्पति की अवधारणा नही होने तथा मुस्लिम विधि के अनुसार मुस्लिम वसीयतकर्ता द्वारा 1/3 हिस्सा से अधिक भूमि की वसीयत करने संबंधी प्रावधानो के बिन्दूओ को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण मे उत्तराधिकार संबंधी मुस्लिम विधि के प्रावधानो के अनुसार पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.07.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official